न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)

अपील संख्याः–328/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/328)

1. बीरमा पुत्र गणेश, जाति बलाई, निवासी ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र श्री लोगाराम, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों की ढाणी, झिन्झानियात जोधपुर हाल निवासी कृष्णा नृसरी देवनगर रोड़, पुष्कर तहसील जिला अजमेर।
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2022 उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर राजस्व वाद संख्या 28/2021

उपस्थितः–

1. श्री फिरोज मोहम्मद व महेन्द्र सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राकेश अरोड़ा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकारा पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः–6.02.2023

1. यह अपील अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांट एवं राज्य सरकार के विरूद्ध राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया। उक्त आशय का राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व वाद को दिनांक 13.8.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर शेष प्रतिवादी को नोटिस जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया। तत्पश्चात अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा जरिए अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत राजस्व वाद के कथनों को इंकार कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादी का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा इत्यादी नहीं चला आ रहा है तथा वादी द्वारा नुमाईश तौर से विवादित आराजीयात गलत एक विक्रय पत्र अपने पक्ष मे निष्पादित करवा लिया है तथा वादी द्वारा उक्त तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर न्यायालय के समक्ष उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत किया है तथा वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

आराजीयात पर वादी का विशिष्ठ भू–भाग पर किसी भी प्रकार से कोई कब्जा इत्यादि नहीं होने के कारण तथा अपीलांट/प्रतिवादी के वर्षों पुराने कब्जे के उददेश्य से वादी द्वारा उक्त राजस्व वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि किसी भी प्रकार से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर निरस्त किया जावे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को अविधिक तौर से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। प्राथमिक डिक्री के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत कुरेजात रिपोर्ट तलब कर ली गई जिसमें वादी द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपीलांट/प्रतिवादी के कब्जे काश्त की आराजीयात को अविधिक रूप से रेसपोडेंट संख्या 1 के हक एवं अधिकार के हिस्से में प्रदर्शित कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा मुर्तिब कुर्रेजात रिपोर्ट पर असहमति जाहिर करते हुए अपने हस्ताक्षर उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अंकित कर दिए तथा उक्त अविधिक कुरेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत बिना प्रतिवादी/अपीलांट को कुरेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद आनन–फानन में वादी को अवांछित लाभ प्रदान करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.2022 से अंतिम डिक्री पारित किए जाने का अविधिक आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादी द्वारा अपने आपको 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था जबकि वास्तविकता यह थी कि वादी द्वारा कभी भी मौके पर किसी भी प्रकार की काश्त नहीं की गई थी तथा वादी द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 20.7.2021 नुमाईशी तौर से तथा कागजों में अपने नाम नाथू व कालू से अपने पक्ष में करवा ली तथा उक्त अविधिक विक्रय पत्र के आधार पर वादी द्वारा प्रतिवादी के हिस्से की आराजीयात को कब्जे का षडयंत्र रचते हुए उक्त राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिस बाबत प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था। जिसे बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.9.2022 पारित कर दिया गया। विवादित आरजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंबित बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा के राजस्व वाद को डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई थी तत्पश्चात उक्त प्राथमिक डिक्री के आधार पर संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा कुरेजात रिपोर्ट मुर्तिब की गई तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा अविधिक रूप से वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा कर वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 721 जिसके पश्चिमी हिस्से पर प्रतिवादी/अपीलांट का वर्षों से कब्जा चला

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

आ रहा था जिस पर कि वर्तमान में प्रतिवादी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात का प्रतिवादी ने मौके पर काबिज काश्त की स्थिति को बदलते हुए विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 721 की आराजीयात बाबत प्रतिवादी/अपीलांट के हिस्से को पूर्व में प्रदर्शित कर उक्त अविधिक बंटवारा कर दिया जो कि किसी भी प्रकार से प्रविष्टली नहीं होने के बावजूद उक्त बंटवारा प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कानून एवं नियमो को ताक में रखते हुए उक्त असैद्धान्तिक बंटवारे के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात बाबत् वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद वास्ते बंटवारा दिनांक 30.09.2022 को डिक्री किया जाकर अपीलांट/प्रतिवादी के हक एवं अधिकारों पर कुठाराघात किए जाने जैसा आदेश पारित कर दिया । वादग्रस्त आराजीयात बाबत् प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरान्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् कुर्रेजात रिपोर्ट मुर्तिब करने पर प्रतिवादी/अपीलांट को उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर हस्ताक्षकर करने पर प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा उक्त अविधिक कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति एवं सहमति प्रकट की तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा मुर्तिब उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपनी असहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी किये, अधीनस्थ न्यायालय ने असहमति/आपत्ति का प्रार्थना पत्र का अवसर प्रदान किय बिना ही वादी को अंवाछित लाभ प्रदान करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2022 द्वारा स्वीकार करने का आदेश प्रदान कर दिया। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 721 बाबत् अपने जमाबंदी में अंकित हिस्से बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था तथा मौके पर प्रतिवादी उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 721 के पश्चिमी हिस्से पर अपनी पुश्तैनी आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा था तथा प्रतिवादी/अपीलांट के उक्त खसरा नम्बर 721 के पश्चिमी हिस्से के साथ ही अपीलांट/प्रतिवादी की अन्य आराजीयात भी साथ में लगती हुई है इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के सम्पूर्ण एक चक आराजीयात को तोड़ते हुए प्रतिवादी के हिस्से की आराजीयात को विवादित खसरा नम्बर 721 के पूर्व में बंटवारा कर वादी को हिस्से में प्रदान कर दी जो कि असैद्धान्ति एवं अव्यवहारिक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर कथन किया कि वर्तमान खाता संख्या नया 442 पुराना 191 के वर्तमान खसरा नम्बर 721 क्षेत्रफल 2.3600 है0 किस्म बारानी–2 की भूमि जो कि ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर में स्थित है जिसके वर्तमान जमाबंदी अनुसार 2/3 हिस्से का सह हिस्सेदार खातदेार वादी दर्ज है तथा 1/3 हिस्से का सह हिस्सेदार प्रतिवादी संख्या 01 दर्ज है, वर्तमान जमाबंदी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त सह हिस्सेदारी खातेदारी की भूमि दर्ज हैं। वर्णित भमि के सह खातेदार नाथू व कालू पुत्रगण गणेश जाति बलाई निवासी ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 20.07.2021 को वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी का 2/3

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

हिस्सा की भूमि कि जिस पर सह खातेदार नाथू व कालू व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य बाहमी बंटवारे के अनुसार विक्रेतागण नाथू व कालू से वादी के द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया, पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार वाद पत्र में वर्णित भूमि जिसमें दो बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन के सहित तथा खसरा नम्बर 696 व 697 से लगती हुई 2/3 हिस्सा की भूमि जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आया है कब्जा प्राप्त किया गया, वर्तमान जमाबंदी के अनुसार वादी 2/3 हिस्से का सह हिस्सेदार दर्ज है, वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को निवेदन किया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि कि जिसका बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के सहित टिनेन्सी रूल्य 18 से 21 के अनुसार मौके पर बंटवारा किया जाना वांछित है बंटवारे के अनुसार वादी का 2/3 हिस्सा की भूमि का वर्तमान जमाबंदी में अलग से खाता कायम किया जाना एवं साथ ही बंटवारे के अनुसार वादी का 2/3 हिस्सा की भूमि को वर्तमान राजस्व नक्शें में भी तरमीम किया जाना वांछित है जिस हेतु यह वाद बंटवारा की आज्ञप्ति हेतु प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को दिनांक 13.08.2021 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये। दिनांक 17.09.2021 को प्रतिवादी की आरे से श्री फिरोज मौहम्मद एड्वोकेट के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 8.10.2021 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के अभिभाषक के अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक भी उपस्थित हुए तथा पत्रावली वास्ते जवाब सरकार हेतु दिनांक 27.10.2021 को नियत की गई तत्पश्चात दिनांक 03.06.2021 को तहसीलदार, पुष्कर को जवाब हेतु तहरीर जारी की गई तथा उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने बाबत् सहमति प्रदान की गई। आदेशिका में अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा हस्ताक्षर किये गये। दिनांक 02.09.2022 को तहसीदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया तथा उभयपक्ष अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति में बहस सुनी गई। उभयपक्ष ने मौके एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारे हेतु अपनी सहमति दी तथा प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, बहस एवं तहसीलदार, पुष्कर की रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्राथमिक रूप से स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया गया व प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते इन्तजार कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 30.09.2022 नियत की गई। दिनांक 30.09.2022 को तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर अंतिम बहस सुनी गई। उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय व डिक्री करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, बहस एवं तहसीलदार, पुष्कर की रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्राथमिक रूप से स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया गया व निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01ने आगे बहस में कथन किया कि अपीलांट/प्रतिवादी का यह कथन गलत है कि विवादित आराजी 2/3 हिस्से के वास्तविक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

खातेदार नाथू व कालू का आराजी पर कब्जा नही था तथा बिना कब्जा के जो बैनामा से वादी ने उक्त आराजी का तथा उक्त खसरा नम्बर भूमि का 2/3 हिस्सा क्रय करना बताया वह गलत है, क्योंकि तहसीलदार, पुष्कर द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 14.09.2022 के अनुसार मौके पर उभयपक्ष की मौजूदगी में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 क अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव भी अनुपालना में पक्षकार को नोटिस जारी किये जाने उनकी मौजूदगी में मौका विभाजन तैयार किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया जाकर ही अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं।इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की सहमति से ही विभाजन किया है जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन वादी/रेस्पो० संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वर्तमान खाता संख्या नया 442 पुराना 191 के वर्तमान खसरा नम्बर 721 क्षेत्रफल 2.3600 है० किस्म बारानी-2 की भूमि जो कि ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर में स्थित है जिसके वर्तमान जमाबंदी अनुसार 2/3 हिस्से का सह हिस्सेदार खातेदेार वादी दर्ज है तथा 1/3 हिस्से का सह हिस्सेदार प्रतिवादी संख्या 01 दर्ज है, वर्तमान जमाबंदी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त सह हिस्सेदारी खातेदारी की भूमि दर्ज हैं। वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि कि जिसका बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के सहित टिनेन्सी रूल्य 18 से 21 के अनुसार मौके पर बंटवारा किया जाना वांछित है बंटवारे के अनुसार वादी का 2/3 हिस्सा की भूमि का वर्तमान जमाबंदी में अलग से खाता कायम किया जाना एवं साथ ही बंटवारे के अनुसार वादी का 2/3 हिस्सा की भूमि को वर्तमान राजस्व नक्शें में भी तरमीम किया जाना वांछित है जिस हेतु यह वाद बंटवारा की आज्ञप्ति हेतु प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में दिनांक 02.09.2022 को निर्णय पारित कर वाद में प्राथमिक डिकी पारित कर तहसीलदार, पुष्कर को वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्डस के सिद्धांत अनुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी को नोटिस तामील करवा कर वाद पत्र में डिकी कर प्राथमिक डिकी पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के हिस्से अनुसार बंटवारे की डिकी पारित की है। जहां तक बंटवारे का प्रश्न है तहसीलदार, पुष्कर द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट अपना ऐतराज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते है । अपीलांट ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी में कोई त्रुटि कारित की गई हो । इसके अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिकी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

व अंतिम डिक्री दिनांक 30.09.2022 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा वाद संख्या 28/2021 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.09.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner